

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर

क्रमांक: ई- 8 (3)ए/मले.निरी./निदे./2017/

दिनांक

आदेश

श्री अर्जुन राम, मलेरिया निरीक्षक जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर के अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीकरणपुर में कार्यरत हैं, की जन्मतिथि 01.01.1958 के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.12.2017 को मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अर्जुन राम, मलेरिया निरीक्षक के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

sd
(राकेश शर्मा)
अति. निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर

क्रमांक: ई- 8 (3)ए/मले.निरी./निदे./2017/५५५

दिनांक 17/7/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. जिला कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, श्रीगंगानगर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन- बीकानेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को उनके पत्र क्रमांक 7868-69 दिनांक 06.07.17 के क्रम में।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीकरणपुर, जिला-श्रीगंगानगर।
6. श्री अर्जुन राम, मलेरिया निरीक्षक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी/रक्षित पत्रावली।

sd
अति. निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज. जयपुर